अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमांबदी रद्द अभिलेख सं0 32/2018-19

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/19	झारखंड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0 दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0 म0 निति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमांबदियो की जॉच प्रारंभ की गयी। जांच के कम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है- मौजा-आमाधाटा मौजा न0-09 खाता न0 28 प्लॉट न0 98 रकवा 20 कटठा की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमांबदी उस मौजा के पंजी-।। के जिल्द संख्या 02 के पृष्ठ संख्या. 218 पर जमांबदी रैयत श्री/श्रीमति राजाराम शर्मा के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमांबदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमांबदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमांबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतः- उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 27/3/19 को रखे। 13.3.19 अंचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned with CamScanner

27/3/19	अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक से मंतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखें। 27.3.19 अंचल अधिकारी धनबाद।
10/4/19	अभिलेख उपास्थिपित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका। अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखें। 10.4.19 अंचल अधिकारी धनबाद।
10/6/20	अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 20/6/20 को रखें। 10.6.20 अंचल अधिकारी धनबाद।
20/6/20	अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा [illegible] मौजा नं0 09 खाता 28, प्लाट नं0 98, रकवा 20 डिसमिल भूमि से संवंधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं0 449/32 (IV) 92-93/93-94 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया है। जिसे संवंधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें। लेखापित एंव संशोधत। 20.6.20 अंचल अधिकारी, धनबाद। 20.6.20 अंचल अधिकारी, धनबाद।